

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

कार्यालय आदेश

श्री श्यामानंद ठाकुर, (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी), खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, वैशाली की सेवा उनके पैतृक विभाग (सहकारिता विभाग) को वापस किये जाने के कारण श्री संजीव रंजन (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी), खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, गया का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, वैशाली के पद पर किया जाता है।

2. बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम-II एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के तहत श्री संजीव रंजन को जिला खनन कार्यालय, वैशाली का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदत्त की जाती है तथा निदेश दिया जाता है कि कार्यालय प्रधान विपत्र की परिशुद्धता अथवा भुगतान में प्राप्त राशि के निपटारा के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

4. पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- प्र0-01-रा(वि0) 16/17...../एम0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- प्र0-01-रा(वि0) 16/17...../एम0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- प्र0-01-रा(वि0) 16/17...../एम0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-उप निदेशक अंचल कार्यालय, गया/मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, गया/खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक— प्र0-01-रा(वि0) 16/17...../एम0, पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:—श्री संजीव रंजन, (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी), खान निरीक्षक, जिला
खनन कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— प्र0-01-रा(वि0) 16/17...714.../एम0, पटना, दिनांक— 05.02.18

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

उदय
5/2/18

5/2/18

सरकार के अवर सचिव